पुलिस थाना-राजातालाब, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

उत्तर प्रदेश पिन नं-221113

सी.यू.जी. नं.-7839856924 ई-मेल- policerajatalab@gmail.com

प्रेस नोट

मु0अ0सं0 0161/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी व श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन कमिश्नरेट वाराणसी व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी व प्रभारी निरीक्षक महोदय राजातालाब कमि0 वाराणशी के कुशल नेतृत्व में क्षेत्र में बढते अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.11.2023 को मै उ0नि0 मय हमराह उ0नि0 के मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व अभियुक्त के बारे मे पतारसी सूरागरसी मे कस्बा राजातालाब मे मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि अरविन्द गुप्ता पुत्र घुरहू साव निवासी डिग्घी थाना धीना जनपद चंदौली जो गाडी खरीदा है उसी के द्वारा वाहन उपरोक्त प्रयोग किया जा रहा था तथा वही इस मुकदमे का मुलजिम है जो इस समय नागाबाबा तिराहे पर स्थित पोखरे के सामने किसी के इंतजार मे खडा है यदि जल्दी किया जाये तो पकडा जा सकता है मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके मै उ0नि0 मय हमराह उ0नि0 विवेकानन्द द्विवेदी को सूचना से अवगत कराते हुए मय मुखबीर कस्बा राजातालाब से रवाना होकर नागा बाबा पोखरे से थोडा पहले दूर से ही मुखबीर ने इसारा करके बताया कि बायी तरफ अकेले खडा व्यक्ति जो काले कलर का लोवर व फूल बाह का काले भूरे कलर का पट्टीदार टी सर्ट पहने हुए है वही अरविंद है बता कर मुखबीर खास हट बढ ,गया मुखबीर खास के बातो पर विश्वास करके एकबारगी खडे व्यक्ति के पास पहुचा तो हम पुलिस वालो को देखकर सकपकागया भागने का प्रयास किया एकबारगी पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अरविन्द गुप्ता पुत्र घुरहू साव निवासी डिग्घी थाना धीना जनपद चंदौली उम्र 36 वर्ष बताया जिसे भागने का कारण पूछने पर बताया कि डर के कारण साहब भाग रहा था अरविन्द गुप्ता उपरोक्त बताया जिससे वाहन संख्या UP78BY5555 के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह गाडी मै पवन कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्याम वंश श्रीवास्तव निवासी देवरिया थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर से वर्ष 2021 में एक लाख अस्सी हजार रूपये में खरीदा था। वाहन का स्थानान्तरण अभी तक मै नही करवा पाया था। तथा वाहन को कौन चलाता है इस बारे में पूछा गया तो बताया कि मै ही उपरोक्त वाहन को चलाता हूं। तथा उपयोग करता हूं। जिसका नाम मुकदमा अपराध संख्या 161/2023 धारा 3/5(क)5(ख)/8 गौवध निवारण अधिनियम में प्रकाश में आया है। तथा दिनांक 28.09.2023 को वाहन को कौन चला रहा है के सम्बन्ध में पूछने पर चुप हो गया कुछ बता नही रहा था काफी प्रयास के बाद बताया कि मै ही दिनांक 28.09.2023 को गाडी चला रहा था। तथा बराबर अपनी गाडी मै स्वयं ही चलाता हूं। जो मुकदमा अपराध संख्या 162/2023 धारा 279/337/338 भादवि में प्रकाश में आया। जिसे धारा 41(1) सीआरपीसी की नोटिस तामिल करायी गयी। तथा जिसे यह बता कर मुकदमा अपराध संख्या 161/2023 धारा 3/5(क)5(ख)/8 गौवध निवारण अधिनियम मे प्रकाश मे आये वांछित अभियुक्त हो कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 12.40 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया।

गिरफ्तार का विवरणः-

1.. अरविन्द गुप्ता पुत्र घुरहू साव निवासी डिग्घी थाना धीना जनपद चंदौली उम्र लगभग 36 वर्ष

अपराधिक इतिहास- निल

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय -

दिनांक 19/11/2023 समय करीब 12.40 बजे, घटनास्थल नागा बाबा पर स्थित पोखरा थाना राजतालाब जनपद वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.. उ0नि0 राजेश सिंह थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी

2. उ0नि0 विवेकानन्द द्विवेदी थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक

थाना राजातालाब

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी